


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रमजान अली सोलंकी पुत्र नूर मोहम्मद सोलंकी जाति तेली(मुसलमान) निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी वगौराह		नोपा देवी पत्नी मोहन जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी आसनपुरा तहसील कुचामन सिटी वगौराह
राजस्व वाद - घोषणा खातेदारी भू-विभाजन एवं रेकार्ड दुरुस्ति अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955		
वाद पत्र नम्बर 162/2022		GMS No. 2022/325
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
22.09.2022	<p>वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद घोषणा खातेदारी भू-विभाजन एवं रेकार्ड दुरुस्ति अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 12/10/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p>12/10/2022 वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबीतु वकील वादी द्वारा तलबवा प्रस्तुत करी पत्रावली दिनांक 16/11/2022 को पेश हो</p> <p>16/11/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारें है। अतः पत्रावली दिनांक 29/11/2022 को पेश हो।</p> <p>28/11/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारें है। अतः पत्रावली दिनांक 12/12/2022 को पेश हो।</p> <p>12/12/2022 वकील वादी एवं वादी को ज्ञापित किया कि अज्ञात की वकालत के बिना वाद प्रस्तुत करने के लिए वे वादीगण को सम्मन तलब करके वाद प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)